DR. V. K. R. V. RAO : Yes, obviously that is one of the things being considered,

अमरिकी क्लब

*1769. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरिका हमारे देश में चार-एच क्लब चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन्हें चलाने का उद्देश्य क्या है और वे कहां-कहां हैं ; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रहा हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिद्दा चरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार हमारे देश में अमरीका द्वारा ऐसे कोई क्लब नहीं चलाए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री शिव पूजन शास्त्री : क्या आपके प्रश्न का अर्थ यह लगाया जाए कि इस तरह के कोई क्लब्ज हैं ही नहीं ?

श्री चिद्दाचरण शुक्ल : मैंने यह कहा है कि इस चार-एच तरह के क्लब्ज हमारे देश में अमरीका द्वारा नहीं चलाये जा रहे हैं । शायद माननीय सदस्य का मतलब यह है कि ऐसे कुछ क्लब हैं जो कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत चलते थे जिनके द्वारा हमारे देश के कुछ किसान भाइयों को अमरीका भेजा जाता था और वहां के लोग यहा आते थे । एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ऐसे क्लब थे । इनका सम्बन्ध कम्युनिटी डिवेलपमेंन्ट प्रोग्राम से था और मिनिस्टरी आफ फूड और एग्रीकलचर के तहत ये आते थे । उसमें कोई विदेशी हाथ नही था ।

श्री शिव पूजन शास्त्री : वे बन्द क्यों किये गये ?

श्री चिद्दा चरण शुक्ल : मुझे नहीं मालूम है कि बन्द क्यों किये गये । वह कृषि मन्त्रालय का काम है ।

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी गिराने की योजना

*1770. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मन्त्री ने 10 अप्रैल, 1968 को कांग्रेस तथा जनसंघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी गिराने की योजना को क्रियान्वित के प्रश्न पर विचार करने के लिये आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों दलों के जो नेता उस बैठक में उपस्थित थे, उनके नाम क्या हैं तथा उसमें क्या निर्णय किये गये ;

(ग) यदि वहां कोई निर्णय नहीं किया गया तो उसके क्या कारण थे ; और

(घ) दोनों दलों ने इस सम्बन्ध में क्या क्या सुझाव दिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिद्दा चरण शुक्ल) : (क) से (घ) . बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि, जिसमें आवश्यक सूचना समाविष्ट है, सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT 1288/68]

श्री रामावतार शास्त्री : जो स्टेटमेंट सभा-पटल पर रख दिया गया है उससे इस बात का आभास नहीं मिलता जैसा कि अखबारों में छपा था कि गृह-मन्त्री द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस और दिल्ली प्रशासन और दूसरे लोगों के उसमें कुछ मतभेद हो गए थे । यह समाचार अखबारों में छपा था । इसके बारे में इस में कुछ नहीं कहा गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि मतभेद थे और अगर थे तो किन मुद्दों पर थे ?

यह समस्या दिल्ली के जन जीवन से सम्बन्धित है । तमाम दलों की इसमें दिलचस्पी

है। आपने स्वयं कहा है कि इस समस्या को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली के अन्दर केवल कांग्रेस पार्टी और जन संघ के ही लोग हैं ? क्या कम्युनिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट के और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तथा दूसरी और पार्टियों के लोग नहीं हैं ? अगर है तो क्या उन लोगों को इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया गया था और अगर नहीं किया था तो क्या कारण है कि उनको निमंत्रित नहीं किया गया था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: अध्यक्ष महोदय, यह बात साफ है कि कुछ मतभेद तो थे ही और इसी लिए यह सभा बुलाई गई थी । उस मीटिंग में बातचीत होने के बाद वे मतभेद दूर हुए। उसी मीटिंग का विवरण, मिनिट्स, मैंने सभा-पटल पर रखे हैं। जहां तक पार्टियों का सवाल है, जिन लोगों को बुलाया गया था, यदि उनकी सूची को देखा जाये, तो यह साफ हो जायेगा कि किसी व्यक्ति को किसी पार्टी से सम्बन्धित होने के आधार पर नहीं बुलाया गया। जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, जो सार्वजनिक कार्य में लगे हुए हैं और जिन का इस समस्या से सम्बन्ध है, उन को बुलाया गया था।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या इस का अर्थ यह है कि जिन लोगों के नाम इस सूची में हैं, केवल वही सार्वजनिक कार्य में लगे हुए हैं, बाकी कोई नहीं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मीटिंग में विभिन्न मन्त्रालयों के लोगों को बुलाया गया। उसी तरह से दिल्ली प्रशान के लोगों को बुलाया गया। अगर माननीय सदस्य की पार्टी के लोग उसमें नहीं हैं, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों और दिल्ली के संसद-सदस्यों को बुलाया गया। यदि माननीय सदस्य की पार्टी के लोग भी उनमें होते, तो उनको भी बुलाया जाता । जान-बूझ कर किसी को इस मीटिंग से अलग नहीं रखा गया ।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा लगता है कि जब दिल्ली के विकास के लिए डेवेलपमेंट प्लान पर विचार हो रहा था, उस समय भी यही लोग उपस्थित थे। जब इस योजना पर विचार किया जा रहा था कि दिल्ली को कैसे विकसित किया जाये और उस को साफ-सुथरा रखा जाये, क्या उस समय भी अन्य दलों के लोगों को, या दिल्ली शहर के उन प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था, जिन का सम्बन्ध किसी दल से नहीं है, लेकिन जिन का यहां के जीवन में एक विशेष स्थान है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या दिल्ली डेवेलपमेंट प्लान को बनाने में जनसंघ और कांग्रेस के लोगों में मतैक्य था ? बदली हुई स्थिति और लोगों के असंतोष को देखते हुए क्या सरकार इस डिवेलपमेंट प्लान में कोई सुधार, परिवर्तन या संशोधन करने के लिए तैयार है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब दिल्ली का मास्टर प्लान बना, उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किन किन लोगों से विचार-विमर्श किया गया, इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यह मास्टर प्लान केन्द्रीय मन्त्री-परिषद् केबिनेट, के सामने रखा गया था और उसके द्वारा मन्जूर किया गया था। यदि उस में कोई फेर-बदल करनी की जरूरत होगी, तो मंत्री-परिषद् की अनुमति से ही वह फेर-बदल किया जा सकेगा । इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है।

SHRI NATH PAI : It is not quite clear from the statement laid on the Table whether in the so-called master plan any provision has been made to implement the promise which the Home Minister made to the House that he would do all he can to provide a suitable site for an Indian version of Hyde Park. You will recall, Sir, this assurance was given by Mr. Chavan to this House. I do not find that any steps

have been taken. If it has been taken, we are not aware of it. May I know what has happened to that assurance ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : The suggestion was made and I certainly said I will look into it. I am looking into it.

SHRI NATH PAI : You are still looking into it?

श्री झारखंडे राय : क्या गृह-मन्त्री बतायेंगे कि दिल्ली महानगर में झुग्गी-झोंपड़ी वालों की कुल तादाद कितनी है और उन को दिल्ली से बाहर बसाने के लिए जो योजना बनी है, उसको पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा और क्या उसके लिए आवश्यक जमीन दिल्ली के आस-पास अधिगृहीत कर ली गई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक झुग्गी-झोंपड़ियों में बसने वालों की संख्या का सवाल है, मेरे पास इस समय उसके आंकड़े नहीं हैं। मैं उनको कलेक्ट कर के सदन-पटल पर रख दूंगा। उन लोगों के लिए सीमापुरी इत्यादि जगहें निर्धारित कर दी जा चुकी हैं, जहां उन को बसाया जाता है। इस बारे में काफी विचार-विमर्श हुआ है कि किस तरह की सुविधायें वहां पर उपलब्ध की जायें, जिससे जो लोग वहां पर ले जाये जायेंगे, उन को किसी प्रकार की तकलीफ न हो और उन्हें कम से कम जो मानवीय सुविधायें मिलनी चाहिए, वे मिलें। हम लोगों की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है कि सब सुविधायें उन्हें उपलब्ध की जायें।

श्री झारखंड राय : मैंने यह भी पूछा है कि पूरी योजना को कार्यान्वित करने में कुल कितना समय लगने की आशा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिसके बारे में हम कोई अवधि निर्धारित कर सकें। यह एक बढ़ती हुई और बनती हुई समस्या है। जैसे-जैसे यह समस्या बनती है और बढ़ती है, हम उसका हल ढूंढते जाते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इतने समय में इस समस्या को हल कर लिया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : बैठक की जो कार्यवाही सदन के सभा-पटल पर रखी गई हैं उस में कहा गया है : "गृह-मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा जो तीन सुझाव प्रस्तुत गये किये हैं, उन पर विचार-विमर्श करने तक वे मुख्य कार्यकारी पार्षद् के साथ सम्बन्धित क्षेत्रों में जाना चाहेंगे। सम्बन्धित मदों का निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा कागजात तैयार किये जायें और इस के बाद कि वे क्षेत्र देख लें तथा उन समस्याओं की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लें, विषय पर आगे विचार-विमर्श किया जाये।"

गृह-मंत्री की तरफ से कहा गया था कि वह दिल्ली के सम्बद्ध इलाकों में दिल्ली के मुख्य-कार्यकारी पार्षद् के साथ घूमेंगे और उसके बाद कोई प्लान तैयार होगी। इस मीटिंग को हुए एक महीने से अधिक हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या गृह-मंत्री ने दिल्ली के मुख्य-कार्यकारी पार्षद् के साथ उन क्षेत्रों का भ्रमण किया है। यह समस्या बहुत अरजेंट है। जितनी देर लगती है, उतनी और झुग्गियां बन जानी हैं। जब उन को हटाया जायेगा, तो और समस्यायें खड़ी होंगीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह-मंत्री उन क्षेत्रों में घूम आये हैं; यदि नहीं, तो उनका कब तक जाने का विचार है।

SHRI Y. B. CHAVAN : During the parliament session, I could not do it. The time was not convenient to me when it was convenient to the Chief Executive Councillor. When it was convenient to me, it was not convenient to the Chief Executive Councillor. I propose to do it after the session is over.

श्री बं० ना० कुरील : झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोग आम-तौर से गरीब और रोज

की मजदूरी करने वाले लोग हैं। जब उनको उठाकर शहर से पंद्रह, बीस मील दूर बसा दिया जाता है, तो उन को हर रोज काम करने के लिए शहर में आने में बहुत तकलीफ होती है। क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उन लोगों को उस जगह से नजदीक ही बसाया जाये, जहां वे काम करते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उस में काफी सत्यांस है। यह ठीक है कि गरीब लोगों को दूर ले जाने से उन्हें अपनी काम करने की जगह को आने में काफी असुविधा होती है। इस बारे में काफ़ी सोच-विचार किया गया है और इस का हल ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी पहले पूछा गया था, मुझे उसके आंकड़े मिल गए हैं। आज लगभग एक लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते है।

श्री रामावतार शास्त्री : एक लाख व्यक्ति नहीं, परिवार।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : According to my figures, it is about I lakh persons.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे पास वह जवाब मौजूद है, जिसमें एक लाख परिवार कहा गया है।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने कहा है कि चूंकि झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों की समस्या बढ़ रही है, इसलिए वह किसी निश्चित योजना के बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से बेकारों की समस्या भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसकी योजना बन जाया करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके सामने झुग्गी-झोंपड़ियों की जो समस्या है, और जितने लोगों की समस्या है, क्या उसके लिए किसी योजना पर विचार किया गया है, यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है, जिसके अन्तर्गत यह काम होने वाला है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : कई बार इस बारे में विचार-विमर्श हुआ और यह तरीका अपनाया गया कि इस तरह की योजना के अन्तर्गत इस समस्या को हल किया जाये। लेकिन हर बार यह देखा गया है कि जब उस योजना को, अथवा उस हल को, लागू करने का यत्न किया गया तो वह समस्या उस के हल से कहीं आगे निकल गई। इसी तरह यह काम चलता आया है।

श्री रवि राय : तो प्लानिंग का क्या मतलब है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिये यह मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कुछ आधारभूत निर्णय लिये गये। अब हम उन निर्णयों को लागू करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए सोच-विचार कर रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जिन-जिन शहरों में विकास हो रहा है और आबादी बढ़ रही है, यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार का प्रश्न वहाँ उत्पन्न हो। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है, इस समस्या से लोगों के रोजगार का भी सम्बन्ध है। मैं कहूँगी कि यह एक ह्यूमन प्राबलम है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि लोगों को जहां से उजाड़ा जाता है, उन को उसके आस-पास ही रखा जाये और शहर के साथ-साथ जगह-जगह ऐसी बस्तियाँ बना दी जायें, जहां उन लोगों को रहने के लिए और अन्य सुविधायें सस्ते दाम पर उपलब्ध हों और उन का रोजगार उनके हाथ से न चला जाये ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम लोगों का यही विचार रहता है कि जहां तक हो सके उन्हें अपने काम से दूर न भेजा जाय और वहां जितनी सुविधा रखी जा सकती है रखी जाय। लेकिन हर वक्त हर प्रश्न पर जब इस तरह की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं तो वह सम्भव नहीं हो पाता है।